निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 22/2020 (रसद अपील)

शंकर लाल शर्मा पुत्र श्री रामनारायण शर्मा, प्राधिकारधारक उचित मूल्य दुकान, ग्राम पंचायत महादेवपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय, जयपुर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत खण्ड 22 (1) (क) राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्व निर्णय/आदेश दिनांक 17.03.2020 जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय प्रकरण संख्या 16/2017 जिसके द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र संख्या 193/93 निरस्त कर धरोहर राशि 1000/–रूपये जब्त किये जाने का आदेश पारित किया गया।

जिला कलक्टर जयपुर जिला

उपस्थित :–

1. श्री कैलाश दत्त शर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. पैरोकार रसद प्रत्यर्थी की ओर से ।

निर्णय — दिनांक 01.08.2022

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के आदेश दिनांक 17.03.2020 जिसके द्वारा अपीलार्थी मैसर्स शंकर लाल शर्मा पुत्र श्री रामनारायण शर्मा, प्राधिकारधारक उचित मूल्य दुकान, ग्राम पंचायत महादेवपुरा, तहसील चाकसू, जिला जयपुर को प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लंघन करने का दोषी मानते हुये प्राधिकार पत्र निरस्त कर समस्त धरोहर राशि जब्त किये जाने के पारित आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड तलब किया गया है। प्रत्यर्थी की ओर पैरोकार रसद उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थी प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार है, जिसे राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 (जिसे एतद् पश्चात आदेश 1976 कहा गया है) के प्रावधानो के तहत प्राधिकार पत्र संख्या 193/93 मिला हुआ है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय ने पत्रांक एफ.पी.एस./93/1146 दिनांक 07.04.1993 अपीलार्थी को जारी किया, जिसके द्वारा

जिला कलक्टर
जयपुर

अपीलार्थी को यह निर्देश दिया गया कि अपीलार्थी संबंधित थोक विक्रेता से राशन सामग्री उठाकर राशनकार्डधारी उपभोक्ताओं को नियमानुसार वितरण करें। अपीलार्थी को मात्र नवम्बर 1993 एवं दिसम्बर 1993 के लिये राशन सामग्री वितरण करने के लिये तहसीलदार चाकसू द्वारा 04.01.1994 को स्टॉक व वितरण रजिस्टर जारी कर लेवी चीनी थोक विक्रेता से उठाकर राशनकार्डधारी उपभोक्ताओं को वितरण करने के आदेश जारी किये गये। जनवरी 1994 के स्टॉक व वितरण रजिस्टर तहसीलदार द्वारा ना तो पास किये गये और ना ही राशन सामग्री उपभोक्ताओं को वितरण करने हेतु संबंधित थोक विक्रेता को अपीलार्थी को राशन सामग्री उपलब्ध करवाये जाने के निर्देश जारी किये। जिला रसद अधिकारी जयपुर ने अपने एकतरफा आदेश दिनांक 11.02.1994 के द्वारा अपीलार्थी का उक्त प्राधिकार पत्र निलम्बित किया। अपीलार्थी ने दिनांक 06.01.1997 को प्रार्थन पत्र पेश किया कि उसका प्राधिकार पत्र दिनांक 30.08.1996 के आदेश द्वारा बहाल किया जा चुका है। इसलिए उसे राशनकार्डधारकों को राशन सामग्री वितरण करने हेतु राशन सामग्री उपलब्ध कराई जावे। श्री हरकेश मीणा प्रवर्तन अधिकारी ने पुलिस थाना चाकसू में दिनांक 02.03.1996 को 2 प्रकरण क्रमश : 38/1996 एवं 39/1996 श्री रामनारायण व गोपाल लाल के विरूद्ध दर्ज कराये। उक्त दोनों प्रकरण में धारा–3/7 व 8 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत न्यायाधीश विशिष्ट न्यायालय आवश्यक वस्तु अधिनियम जयपुर में प्रकरण संख्या 3/97 एवं 6/97 पुलिस द्वारा पेश किया गया। उक्त दोनों प्रकरणों में अपीलार्थी का नाम बदनियति से जोड़ा गया। माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक क्रमशः 16.03.1998 एवं 25.04.1998 द्वारा अपीलार्थी शंकरलाल शर्मा को बरी कर दिया। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय ने अपीलार्थी के विरूद्ध एक अन्य प्रकरण संख्या 197/98 बाबत निरीक्षण के समय दुकान बंद मिलने का आरोप का दर्ज किया तथा उसका प्राधिकार पत्र निलम्बित करने का एकतरफा आदेश पारित किया। उक्त प्रकरण का अन्तिम निर्णय होने से पूर्व ही अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान रिक्त ना होते हुये भी दिनांक 06.01.2006 को जिला रसद अधिकारी जयपुर ने अपीलार्थी की उचित मूल्य की दुकान जिसका प्राधिकार पत्र ना तो निरस्त हुआ और ना प्रकरण संख्या 197/98 का अन्तिम निर्णय पारित हुआ। अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का श्री रामकिशन पुत्र श्री हरिराम मीणा के नाम प्राधिकार पत्र संख्या 182/06 जारी कर दिया। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय ने प्रकरण संख्या 197/98 का निर्णय दिनांक 11.12.2007 को पारित किया जिसके द्वारा अपीलार्थी की जमा प्रतिभूति राशि में से 200/–रूपये जब्त करने तथा दुकान बदस्तूर चालू रखने के आदेश पारित किये। अपीलार्थी उक्त आदेश की पालना में दिनांक 12.12.2007 को 200/–रूपये प्रतिभूति राशि कार्यालय में जमा कराई, लेकिन जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान जो रामकिशन पुत्र हरिराम को अवैघ रूप से आवंटित की गई को ना तो निरस्त किया, ना ही उसका अपीलार्थी को चार्ज संभलवाया तथा अपीलार्थी को राशनकार्डधारी उपभोक्ताओं को वितरण हेतु राशन सामग्री भी नहीं दी गई और ना इस संबंध में थोक विक्रेता को अपीलार्थी को राशन सामग्री देने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी का स्टॉक व वितरण रजिस्टर भी पास नहीं किया। दिनांक 11.12.2007 से 24.04.2017 से पूर्व तक अपीलार्थी जिला रसद अधिकारी, जिला कलक्टर जयपुर, खाद्य विभाग, खाद्य मंत्री महोदय व अन्य उच्च अधिकारियों को अनेक अभ्यावेदन प्रस्तुत कर चुका है, लेकिन जिला रसद अधिकारी रामकिशन पुत्र श्री हरिराम मीणा प्राधिकारधारक के प्रभाव में है। उक्त

जिला कलक्टर
जयपुर

रामकिशन मीणा जिसने उक्त उचित मूल्य दुकान वर्ष 2006 में अपने नाम से आवंटित करा ली, ने अपीलार्थी के विरूद्ध विद्वेषपूर्ण भावना से अन्य व्यक्तियों के फर्जी हस्ताक्षर कर झूंठी शिकायतें की तथा ग्राम पंचायत महादेवपुरा के तत्कालीन सरपंच श्री रविकान्त स्वामी से दिनांक 22.07.2016, 17.08.2016, 24.10.2016, 05.12.2016 एवं 24.01.2017 को ज्ञापन प्रस्तुत करवाये, जिनमें अपीलार्थी के विरूद्ध मनगढन्त व झूंठे आरोप लगाये, जबकि उक्त सरपंच के कार्यकाल के दौरान अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान चालू नहीं थी। सरपंच द्वारा किसी भी प्रकार दुकान निरस्त करने का प्रस्ताव पास करना या अपीलार्थी को दुकान नहीं करने देने के संबंध में जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के यहां विचाराधीन कार्यवाही में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। प्रवर्तन अधिकारी के पत्र दिनांक 18.07.2016 से यह ज्ञात हुआ कि अपीलार्थी को उक्त दुकान के 1/2 हिस्से का प्राधिकार पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है तथा दिनांक 15.12.2016 के पत्र द्वारा राशनकार्डो का विभाजन किया गया। अपीलार्थी लम्बे समय से उक्त दुकान उसे ना देने पर अपीलार्थी ने एक लिखित अभ्यावेदन बाबत उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत महादेवपुरा, तहसील चाकसू की उसे अविलम्ब राशन साम्रगी उपलब्ध कराये जाने के संबंध में प्रस्तुत किया। लिखित अभ्यावेदन के बाद जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय ने अपीलार्थी को दिनांक 15.02.2017 को एक नोटिस जारी किया जिसका प्रत्युत्तर अपीलार्थी ने दिनांक 06.03.2017 को जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष पेश किया। अपीलार्थी अनेको बार जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय से मिला लेकिन जिला रसद अधिकारी ने स्पष्ट किया कि ग्राम पंचायत महादेवपुरा के सरपंच रविकान्त स्वामी की सिफारिश रामकिशन मीणा के लिये है और वे सरपंच की बात को नही टाल सकते और जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय ने दिनांक 24.04.2017 को अपीलाधीन आदेश पारित किया जिसके द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र संख्या 193/93 निरस्त कर धरोहर राशि 1000/-रूपये जब्त करने के आदेश पारित किये। उक्त आदेश के विरूद्ध अपील संख्या 16/2017 माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की जिसे दिनांक 19.03.2019 को स्वीकार जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को पुनः निर्णय पारित करने का आदेश पारित किया। जिस पर जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय ने अपीलार्थी को दिनांक 23.04.2019 को नोटिस जारी किया, जिसका प्रत्युत्तर अपीलार्थी ने दिनांक 15.05.2019 को प्रस्तुत किया, जिस पर जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय ने प्रवर्तन अधिकारी से दिनांक 23.01.2020 को उपरोक्त संबंध में स्पष्टीकरण मांगा। प्रवर्तन अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 13.03.2020 को पेश की जिसके आधार पर जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय ने दिनांक 17.03.2020 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। जिला रसद अधिकारी ने इस तथ्य पर कतई गौर नहीं किया कि अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत महादेवपुरा का अस्थायी आवंटन दिनांक 06.01.2006 को श्री रामकिशन के नाम कर दिया, जबकि अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण संख्या 197/98 विचाराधीन था, जिसका निर्णय दिनांक 11.12.2007 को किया गया। अपीलार्थी के विरूद्ध यह आरोप है कि उसने वर्ष 2007 से स्वेच्छा से राशन वितरण कार्य बंद रखा, कतई गलत है। बिना उक्त दुकान के प्राधिकार पत्र को निरस्त किये तथा रामकिशन को हटाये बिना अपीलार्थी सन् 2007 से दुकान कैस चलाता। जिला रसद अधिकारी के समक्ष अपीलार्थी सन् 2007 से लगातार 2017 तक अपनी उचित मूल्य दुकान की मांग करता रहा। जिला रसद अधिकारी ने उक्त दुकान को दो भागों में बांटने का निर्णय भी लिया, लेकिन जिला

जिला कलक्टर
जयपुर

रसद अधिकारी ने सरपंच व प्राधिकारधारक रामकिशन के प्रभाव में आकर अनुचित कार्यवाही की तथा जिला रसद अधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, ज्ञापन व ज्ञापन के साथ प्रस्तुत कानूनी निर्णयों को नजरअंदाज कर स्पष्टीकरण में वर्णित तथ्यों का गलत अर्थ लगाया, जबकि जिला रसद अधिकारी ने उचित मूल्य दुकान का कार्य स्वेच्छा से बंद नहीं किया कि, अपीलार्थी ने उचित मूल्य दुकान दिनांक 06.01.2006 से रामकिशन को प्राधिकार पत्र संख्या 182/06 जारी कर आवंटित कर दी ओर राशन सामग्री का वितरण उक्त दुकान से कराने लगे। बिना रामकिशन का प्राधिकार पत्र निरस्त किये अपीलार्थी पर यह आरोप कि उसने वितरण कार्य स्वेच्छा से बंद किया, पूर्णरूप से गलत एवं मनगढन्त है। जिला रसद अधिकारी ने प्रकरण संख्या 67/2013 दर्ज कर अपीलार्थी को नोटिस क्रमांक 4862 दिनांक 15.02.2017 पूर्णरूप से गलत जारी किया तथा प्रकरण गलत दर्ज किया। जबकि पत्रावली में ऐसा कोई आदेश नहीं है, जिसका अपीलार्थी द्वारा उल्लघंन किया गया हो। जब अपीलार्थी को वर्ष 2007 के बाद कोई राशन सामग्री राशनकार्डधारी उपभोक्ताओं को वितरण करने हेतु उपलब्ध ही नहीं कराई तो अपीलार्थी से गेहूँ, चीनी, केरोसीन तेल के स्टॉक की जानकारी उक्त नोटिस के माध्यम से मांगना कतई बेबुनियाद है। दिनांक 11.12.2007 के आदेश के बाद जिला रसद अधिकारी को तुरन्त रामकिशन को दिनांक 06.01.206 को आंवटित दुकान को निरस्त कर उसका चार्ज अपीलार्थी को संभलाना चाहिये था, जो कि कानूनन आवश्यक था। रामकिशन अपनी दुकान को बचाने के लिये उच्च अधिकारियों को प्रभावित करता रहा। यहां तक कि जिला रसद अधिकारी ने भी रामकिशन से हाथ मिला लिया, अन्यथा जब दुकान के 2 टुकडे करने के निर्णय ले लिया गया था तो अचानक ही अपीलाधीन आदेश कैसे पारित किया गया। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को आपेक्षित निर्णय व आर्देश दिनांक 17.03.2020 निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र व प्रतिभूति राशि बहाल किये जाने के आदेश पारित किये जावे तथा दिनांक 06.01.2006 को रामकिशन को जो उचित मूल्य दुकान आंवटित की गई है उसको निरस्त कर उसका चार्ज दिलाये जाने की स्वीकृति फरमावें।

5. प्रत्यर्थी की ओर से पैरोकार रसद ने अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की की डीलर द्वारा वर्ष 2007 से राशन सामग्री वितरण कार्य बंद कर दिया गया तथा वर्ष 2011 में उनके द्वारा पुनः वितरण कार्य की अनुमति चाही गई थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली मे स्वेच्छा से अवकाश पर चले जाने अथवा वितरण कार्य बंद रखने का कोई प्रावधान नहीं है फिर भी डीलर द्वारा स्वेच्छा से कार्य बन्द किया गया जिसके लिए वह स्पष्ट दोषी है तथा खाद्य विभाग के आदेश कमांक एफ 17(1) खा.वि./विधि/2008 दिनांक 07.04.2010 द्वारा नई दुकान खोलने हेतु न्यूनतम 500 राशनकार्ड एवं 2000 यूनिट की अहर्ता/अनिवार्यता तय की है। उक्त निर्देशों के अनुसार पंचायत में कुल पात्र राशन 905 एवं यूनिट 3767 है। उक्त निर्देशों के तहत नई दुकान सृजित कर अपीलार्थी शंकर लाल शर्मा के प्राधिकार पत्र को बहाल करने से पहले पूर्व में संचालित एफपीएस का क्षेत्र कम करना जरूरी है जो उक्त निर्देशों की अवहेलना में आता है। अतः वर्तमान में नयी एफपीएस का सर्जन विभागीय निर्देशों के विपरीत होने से अपीलार्थी की धरोहर राशि जब्त सरकार करते हुये अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

प्र०

जिला कलक्टर

जयपुर

5. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

6. अपीलार्थी द्वारा पूर्व में जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा पारित आदेश दिनाक 24.07.2017 के विरूद्व अपील संख्या 16/32017 ब उनवानी शंकरलाल शर्मा बनाम जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय पेश की गई थी। जो दिनांक 19.03.2019 को स्वीकार की जाकर प्रकरण जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया था कि अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से निर्णय पारित करें। जिसके कम में जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को पुनः सुना जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.03.2020 से अपीलार्थी की धरोहर राशि जब्त सरकार की जाकर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। अपीलार्थी ने वर्ष 2007 से राशन सामग्री वितरण कार्य बन्द किया है और वर्ष 2011 में उसके द्वारा पुनः वितरण कार्य की अनुमति चाही गई थी। स्वेच्छा से कोई डीलर एफ पी एस की दुकान का संचालन बन्द नही कर सकता है। वर्तमान में ग्राम पंचायत महादेवपुरा तहसील चाकसू के लिए रामकिशन पुत्र हरिराम मीणा के नाम प्राधिकार पत्र संख्या 182/2006 जारी हो कर उचित मूल्य दुकान संचालित है। इसलिए लगभग 15 वर्ष पश्चात अब अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने का कोई औचित्य नही है। फलस्वरूप अपील खारिज कीं जाती है।

7. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा मय मिसल मातहत जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

8. निर्णय आज दिनांक **01.08.2022** को सरे इजलास सुना गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर